संख्या-2/2015/438/18-4-2015-7(एसाइड)/04

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
लखनऊ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 31 मार्च,2015

विषयः एसाइड योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 की अवशेष परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं अनन्तिम वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1100/एसाइड स्क्रीनिंग कमेटी/2014-15, दिनांक 27-3-2015 एवं पत्र संख्या-1106/एसाइड-स्क्रीनिंग कमेटी/2014-15, दिनांक 30-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2072/18-4-2014-1(बजट)/14, दिनांक 16-01-2015 द्वारा एसाइड योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में स्वीकृत धनराशि रू0 5004.00 लाख में से निम्नलिखित विवरण के अनुसार परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तालिका के कालम-6 में उल्लिखित एसाइड लागत के सापेक्ष कालम-8 में उल्लिखित 25 प्रतिशत एसाइड अंश की धनराशि की अनन्तिम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(धनराशि लाख रूयपे में)

क्र0.सं0	बास्केट प्रोजेक्ट का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	क्रियान्वयन इकाई (एस0पी0वी0)	प्रोजेक्ट कास्ट बास्केट मूल्य	एसाइड अंश	एस0पी0वी0 अंश	स्वीकृत की जा रही एसाइड अंश की 25 प्रतिशत धनराशि
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-
1-	सी.एफ.सी. फार पैकेजिंग,डिजाईनिंग एण्ड लेबलिंग वाराणसी/ आसन्न क्षेत्र	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, वाराणसी	कालीदेव पालीटेक्स प्राइवेट लि0 वाराणसी	1100.00	880.00	220.00	220.00
2-	सी.एफ.सी. फार पैकेजिंग,डिजाईनिंग एण्ड लेबलिंग भदोही	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, भदोही	मे0 हर्षिता क्रिएशन्स, भदोही	1100.00	880.00	220.00	220.00
3-	सी.एफ.सी. फार पैकेजिंग एण्ड स्टोरेज आफ फ्रूट	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र,	मे0 सूर्यांश कूलेक्स एण्ड पैकेजिंग प्रा0	1550.00	1240.00	310.00	310.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	फ्लावर एण्ड वेजिटेबल, लखनऊ	लखनऊ	लि0, लखनऊ				
4-	सी.एफ.सी. फार वुड प्रोसेसिंग, अमरोहा	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, अमरोहा	मे0 अमरोहा बुडेन क्राफ्ट प्रा0 लि0	1450.00	1160.00	290.00	290.00
5-	सी.एफ.सी. फार डिजाईन डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग, मुरादाबाद	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, मुरादाबाद	मे0 हैण्डीक्राफ्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन	1200.00	960.00	240.00	240.00
6-	सी.एफ.सी. फार डिजाईन, टूलिंग एवं प्रोटोटाईप डेवलपमेंट, गौतमबुद्व नगर	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्व नगर	मे0 पी0एस0पी0 रियल एस्टेट प्रा0 लि0	1406.00	1124.80	281.20	281.20

2. उपरोक्त परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबंधों के अधीन होगी:-

(1)- उपरोक्त परियोजनाओं में एसाइड फण्ड बास्केट मूल्य या वास्तविक मूल्य जो भी कम हो, के 80 प्रतिशत के अधीन होगा।

(2)- उपरोक्त परियोजनाओं की अंतिम वित्तीय स्वीकृति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से डी0पी0आर0/प्रस्ताव के मूल्यांकन के उपरान्त निर्गत की जायेगी तथा परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(3)- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 16.01.2015 में उल्लिखित नियम, शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होगें।

(4)- परियोजना में निर्धारित एसाइड अंश के अतिरिक्त शेष धनराशि एस0पी0वी0 द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

3. उपरोक्त परियोजनाओं हेतु एसाइड अंश एसाइड गाईड लाइन्स में दिये गये प्रावधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत धनराशिं अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-2/2015/438/(1)/18-4-2015, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-1) सी0ए0एस0एस0-3/टीडी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- महालेखाकार (लेखा-हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।

4-सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टेट सेल, डिपार्टमेंट आफ कामर्स, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

5- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर ।

6- कोषाधिकारी लखनऊ/कानपुर नगर ।

7-वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर ।

8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।